राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—नर्सिग / नर्स—2 / एलएचवी / स्वै0सेनि0 / एम—24 / 2017 / 258 दिनांकः— 22-2-2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
झालावाड।

विषयः— श्रीमती मेरी ग्रेसी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के स्वैच्छिक सेवा निवृति आदेश जारी करने बाबत।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 604 दिनांक 27.12.2017।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती मेरी ग्रेसी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दहीखेडा, खानपुर, झालावाड के दिनांक 01.03.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांकः नर्सिग / विविध / 06 / 365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की कमी को देखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृति पर रोक है।

अतः कार्मिका को दिनांक 01.03.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी किया जाना संभव नहीं है, अतः आप अपने स्तर से कार्मिका को सूचित करें।

(डा0 घनश्याम बैरवा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—नर्सिग / नर्स—2 / एलएचवी / स्वै0सेनि0 / एम—24 / 2017 / दिनांकः—

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमती मेरी ग्रेसी, महिला, स्वास्थ्य दर्शिका, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

—//—

(डा0 घनश्याम बैरवा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर